<u>महत्त्वपूर्ण</u>

<u>संख्या-I/1080273/2025-1811103</u>

प्रेषक,

डॉ0 एम0के0 शन्मुगा सुन्दरम्,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
7. निदेशक, कारखाना, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत।

श्रम अनुभाग-2 **लखनऊ, दिनांक : 06-09-2025**

विषय: **भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत निरीक्षण एवं अनुवर्ती कार्यवाही तथा उपकर निर्धारण व उपकर संग्रहण हेतु पृथक-पृथक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के निर्धारण के संबंध में।**

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सपठित उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) नियमावली, 2009 तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 सपठित भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में समस्त निर्मित/निर्माणाधीन निजी भवनों/रिहायसी भवनों/कारखानों, जिनकी निर्माण लागत रूपये 10 लाख से अधिक है, पर उनकी निर्माण लागत के सापेक्ष 01 प्रतिशत धनराशि उपकर (लेबर सेस) के रूप में वसूल किये जाने का प्राविधान है।

2. यह भी अवगत कराना है कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-42 की उपधारा (3) के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रीय/जनपदीय कार्यालयों में नियुक्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी/सहायक/उप/अपर श्रमायुक्त, सहायक/उप/निदेशक कारखाना तथा कार्यालय श्रम आयुक्त में तैनात सहायक/उप/अपर श्रमायुक्तों को उनके अधिकारिता सीमा के अन्तर्गत 'निरीक्षक' नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिकारियो द्वारा अधिनियम के प्राविधानानुसार प्रतिष्ठानो का निरीक्षण व तद्नुसार अनुवर्ती कार्यवाहियों का उद्देश्य निर्माण स्थल का पंजीयन कराना, निर्माण प्रक्रिया में नियोजित कर्मकारों की कार्यदशाओं में विनियमन कराना, कर्मकारों को नियमानुसार मजदूरी एवं अन्य हितलाभ देयता को सुनिश्चित कराना तथा समाजिक सुरक्षा प्रदान कराया जाना है। इसके अतिरिक्त निरीक्षण की कार्यवाही के समय निर्माण स्थल एवं नियोजक से सम्बन्धित विवरण प्राप्त करना तथा निर्माण कार्य की अनुमानित लागत का आकलन करना है जिसके आधार पर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत उपकर निर्धारण एवं उपकर संग्रहण अधिकारियों द्वारा उपकर संग्रहण की कार्यवाही की जाती है।

3. उल्लेखनीय है कि अधिसूचना संख्या-752/36-2-10-46/2010 दिनांक 15.09.2010 द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय अधिकारियों को उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के नियंत्रणाधीन अथवा ठेकेदारों के माध्यम से सभी निर्मित अथवा निर्माणाधीन भवनों एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों पर तथा रूपया 10 लाख और उससे अधिक के सम्पूर्ण निर्माण लागत वाले निजी रिहायशी आवासों (जिनके सम्बन्ध में स्वीकृत/अनुमोदन उनके क्षेत्राधिकार में है) पर भी भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (अधिनियम संख्या 28 सन 1996) के अधीन उपकर निर्धारण एवं उपकर संग्रहक हेतु "निर्धारण अधिकारी" एवं "उपकर संग्राहक" के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनके द्वारा उपकर निर्धारण एवं उपकर संग्राहक अधिकारियों द्वारा उपकर निर्धारण एवं संग्रहण की कार्यवाही की जाती है।

4. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत निरीक्षण एवं अनुवर्ती कार्यवाही तथा उपकर निर्धारण व उपकर संग्रहण के कार्य में एकरूपता लाये जाने के दृष्टिगत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत निरीक्षण एवं अनुवर्ती कार्यवाही तथा उपकर निर्धारण व उपकर संग्रहण हेतु सम्यक विचारोपरान्त पृथक-पृथक **मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure)** निर्धारित की जाती है।

5. इस सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार निर्धारित **मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure)** को संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत निरीक्षण एवं अनुवर्ती कार्यवाही तथा उपकर निर्धारण व उपकर संग्रहण की कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय

Digitally signed by Shanmuga Sundaram
Date: 06-09-2025 22:15:00

(डॉ0 एम0के0 शन्मुगा सुन्दरम्)

प्रमुख सचिव

<u>संख्या-**I/1080273/2025(1)**, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि समस्त क्षेत्रीय अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया अपने क्षेत्रान्तर्गत निर्माण से सम्बन्धी प्राधिकरण/संस्था, जिनके द्वारा उपकर निर्धारण एवं उपकर संग्रहण की कार्यवाही की जाती है, से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर उपरोक्तानुसार निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया उन्हें उपलब्ध कराते हुए तदनुसार अग्रतर कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध करने का कष्ट करें। (द्वारा श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश)

आज्ञा से

Digitally signed by
KUNAL SILKU
Date: 15-09-2025
17:03:26

(कुणाल सिल्कू)
विशेष सचिव

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत उपकर निर्धारण एवं उपकर संग्रहण की कार्यवाही के सम्बन्ध में मानक संचालन प्रक्रिया (Standered Operating Procedure)

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत निर्माण कार्यों पर (निजी रिहायशी भवनों को छोड़कर जिनकी कुल लागत रूपए दस लाख से कम है) 01 प्रतिशत धनराशि उपकर के रूप में जमा कराये जाने का प्राविधान है। नियमानुसार उपकर संग्रहण सुनिश्चित किये जाने हेतु भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 तत्संबंधी नियमावली, 1998 के नियम-2 के खण्ड (च) एवं (छ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या-1412/36-2-2009-251 (एसएम)/95 दिनांक 20.11.2009 के द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को उनकी अधिकारिता के सीमाओं के अन्तर्गत उपकर निर्धारण अधिकारी एवं उपकर संग्रहण अधिकारी नियुक्त किया गया है।

इसके अतिरिक्त अधिसूचना संख्या-752/36-2-10-46/2010 दिनांक 15.09.2010 द्वारा उपवर्णित नियम-2 के खण्ड (च) एवं (छ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके एवं नियमावली के नियम-7 के साथ पठित सुसंगत अधिनियम की धारा-5 के अधीन परिकल्पित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु सचिव, विकास प्रधिकरण, लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियन्ता स्तर से अनिम्न अधिकारी, सिंचाई विभाग के अधिशाषी अभियन्ता स्तर से अनिम्न अधिकारी, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अधिशाषी स्तर से अनिम्न अधिकारी, सचिव मण्डी परिषद स्तर से अनिम्न अधिकारी, प्रोजेक्ट मैनेजर उ0प्र0 सेतु निगम स्तर से अनिम्न अधिकारी, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम के अधिशाषी अभियन्ता स्तर से अनिम्न अधिकारी, राजकीय नलकूप निगम के अधिशासी अभियन्ता स्तर से अनिम्न अधिकारी, उत्तर प्रदेश जल निगम के अधिशासी अभियन्ता स्तर से अनिम्न अधिकारी, समाज कल्याण निगम के अधिशासी अभियन्ता स्तर से अनिम्न अधिकारी, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अधिशासी अभियन्ता स्तर से अनिम्न अधिकारी, नगर निगम के नगर आयुक्त/अपर/उपनगर आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, खण्ड विकास अधिकारी, सहायक/उप/अपर श्रम आयुक्त, उ०प्र० एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के लिये उनके नियंत्रणाधीन अथवा ठेकेदारों के माध्यम से सभी निर्मित अथवा निर्माणाधीन भवनों एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों पर तथा रूपया 10 लाख और उससे अधिक के सम्पूर्ण निर्माण लागत वाले निजी रिहायशी आवासों (जिनके सम्बन्ध में स्वीकृत/अनुमोदन उनके क्षेत्राधिकार में है) पर भी भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (अधिनियम संख्या 28 सन 1996) के अधीन उपकर निर्धारण एवं उपकर संग्रहक हेतु "निर्धारण अधिकारी" एवं "उपकर संग्राहक" के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनके द्वारा उपकर निर्धारण एवं उपकर संग्रहक अधिकारियों द्वारा उपकर निर्धारण एवं संग्रहण की कार्यवाही की जाती है।

उपकर निर्धारण वादों में समयबद्ध व एकरूपता के साथ निस्तारण करने तथा उसमें होने वाली पृच्छाओं के निस्तारण हेतु एक उपकर निर्धारण एवं उपकर संग्रहण की मानक संचालन प्रक्रिया निम्नवत है:-

क्र0सं0	मानक संचालन प्रक्रिया
1	निर्माणाधीन भवन/निर्मित भवन/निर्माण कार्य के सम्बन्ध में निर्गत निरीक्षण टिप्पणी/अन्य स्रोतों से अनुमानित निर्माण लागत की सूचना प्राप्त होने पर सहायक/उप/अपर श्रमायुक्त उ0प्र0/उत्तर प्रदेश सरकार श्रम अनुभाग-2 अधिसूचना संख्याः 752/36-2-10-46/2010 दिनांक 15.09.2010 द्वारा नियुक्त उपकर निर्धारण एवं उपकर संग्रहण अधिकारियों द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत उपकर निर्धारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। सभी स्तरों से जारी उपकर निर्धारण आदेश की प्रतिलिपि श्रमायुक्त, उ0प्र0 एवं उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (यू0पी0बी0ओ0सी0डब्लू0 बोर्ड) को पृष्ठांकित की जायेगी तथा सेस पोर्टल (https://cessupbocw.in) पर भी अपलोड किया जायेगा और यह प्रयास किया जायेगा कि उपकर निर्धारण की कार्यवाही सेस पोर्टल (Cess Portal) पर ऑनलाइन ही किया जाए तथा ऑफलाइन सुनवाई निर्धारण की स्थिति में सेस पोर्टल पर उनकी प्रविष्टि सुनिश्चित की जाए।
2	निरीक्षण के अतिरिक्त जी0आई0एस0 सर्वेक्षण तथा कार्यदायी संस्थाओं जैसे- ऊर्जा विभाग, विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत आदि से ऑनलाइन एवं अन्य माध्यम से प्राप्त सूचना/जानकारी के आधार पर भी उपकर पोर्टल (https://cessupbocw.in) माध्यम से ऑनलाइन उपकर निर्धारण की कार्यवाही की जायेगी।
3	उपकर निर्धारण अधिकारी द्वारा उपकर निर्धारण वादों को पंजीकृत करने के पश्चात सेवायोजक/भवन स्वामी को ऑनलाइन उपकर संबंधी नोटिस तैयार कराते हुए सर्वप्रथम यह प्रयास किया जाएगा कि नोटिस की तामीली ऑनलाइन की जाए अन्यथा की स्थिति में रजिस्टर्ड डाक/विशेष पत्रवाहक के माध्यम से आवश्यकतानुसार नोटिस तामीली की जायेगी तथा उससे निर्माण कार्य की लागत के आगणन हेतु आवश्यकतानुसार अभिलेख यथा प्रपत्र-1, स्वीकृत मानचित्र/नक्शा व अन्य सुसंगत अभिलेखों के अतिरिक्त यदि उपकर निर्धारण अधिकारी आवश्यक समझे, तो सेवायोजक/भवन स्वामी से यह भी अपेक्षा कर सकता है कि निर्माण स्थल की विभिन्न कोणों से ली गयी प्रमाणित फोटो भी अन्य अभिलेखों के साथ संलग्न करें।
4	समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त/प्रभारी जनपदीय श्रम प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा मण्डल/जनपद स्तर पर मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में आयोजित मासिक समीक्षा बैठकों एवं जिला श्रम बंधु की बैठकों में कार्यदायी संस्थाओं/विकास प्राधिकरणों/स्थानीय नगर निकायों के अधिकारियों को उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में 30 दिन के अन्दर आवश्यक रूप से जमा कराने हेतु निर्देशित कराया जाए। क्षेत्रीय अधिकारी प्रत्येक माह इसकी समीक्षा भी करेंगें।
	किसी वाद के स्थापित किये जाने पर अग्रेतर उसका निस्तारण भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के नियम-7(1) के अनुसार फार्म-1 प्राप्त होने पर उपकर निर्धारण अधिकारी, प्रस्तुत की गयी सूचना की समीक्षा करेगा तथा प्रस्तुत की गयी विशिष्टियों के प्रति संतुष्ट होने पर प्रारूप-1 में ऐसी सूचना होने की

5	तारीख से 06 माह से अनधिक अवधि के भीतर निर्धारण का आदेश करेगा जिसमें नियोजक द्वारा संदेय उपकर की धनराशि उपदर्शित होगी और उसकी एक-एक प्रति नियोजक, श्रमायुक्त, उ0प्र0 एवं यू0पी0बी0ओ0सी0डब्ल्यू0बोर्ड को पृष्ठांकित करेगा तथा आदेश को, आदेश किये जाने की तारीख से 05 दिन के भीतर प्रेषित करेगा तथा ऐसे प्रकरण जिनमें ऑफलाइन उपकर निर्धारण किया गया हो, को ऑफलाइन कार्यवाही किये जाने का कारण अंकित करते हुए 48 घण्टे के अन्दर आदेश को सेस पोर्टल (https://cessupbocw.in) भी अपलोड किया जायेगा।
6	यदि सेवायोजक द्वारा प्रस्तुत प्रारूप-1 की समीक्षा करने पर उपकर निर्धारण अधिकार को यह प्रतीत होता है कि नियोजक ने सन्निर्माण की लागत का न्यून लागत या मिथ्या संगणन किया है तो वह नियोजक को उपकर के निर्धारण हेतु नोटिस जारी करेगा तथा यदि सेवायोजक द्वारा नोटिस प्राप्ति के भीतर अपने दावे के समर्थन में अभिलेख/अन्य साक्ष्य सहित उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उपलब्ध अभिलेखों और उससे अनुसांगिक जानकारियों के आधार पर निर्धारण प्रारम्भ कर देगा तथा निर्धारण कार्य की प्रगति के दौरान किसी भी समय उपकर निर्धारण अधिकारी, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के नियम-7 के उपनियम-6 के अन्तर्गत ऐसे अधिकारियों जिन्हें वह उचित समझे, के निर्माण लागत के यथा सम्भव सटीक आकलन हेतु अधिकृत करेगा।
7	अध्यक्ष, यू0पी0बी0ओ0सी0डब्ल्यू0 बोर्ड के आदेश दिनांक 04.12.2018 के क्रम में उपकर निर्धारण अधिकारियों द्वारा उपकर का निर्धारण पी0डब्लू0डी0/सी0पी0डब्लू0डी0 (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग) की दरों के आधार पर किया जायेगा।
8	सेवायोजक द्वारा प्रारूप-1 पर सूचना न दिये जाने की स्थिति में अथवा उपकर निर्धारण अधिकारी के समक्ष वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में उपकर निर्धारण अधिकारी द्वारा अन्य द्वितीयक स्रोतों/स्थलीय जॉच के आधार पर निर्माण लागत का आगणन पी0डब्लू0डी0/सी0पी0डब्ल्यू0डी0 की दरों के आधार पर करते हुए उपकर निर्धारण का आदेश जारी किया जायेगा तथा आदेश में यह अंकित किया जायेगा कि भविष्य में किसी प्रकार की उपकर सम्बन्धी देयता का उत्तरदायित्व सेवायोजक का ही होगा। साथ ही ऐसे प्रकरणों की सूचना उपकर पोर्टल के डैशबोर्ड के माध्यम से देखे जाने की व्यवस्था बोर्ड स्तर से सुनिश्चित करायी जाए तथा जनपद/मण्डल, कार्यालय स्तर पर भी **ऑनलाइन रजिस्टर (Online Registers)** में ‘‘कार्यालय की सूचना के आधार पर उपकर निर्धारण‘‘ श्रेणी अंकित किया जायेगा।
9	उपकर निर्धारण अधिकारी द्वारा उपकर निर्धारण आदेश में यह अंकित किया जायेगा कि यदि सेवायोजक निर्दिष्ट समय के भीतर उपकर संदाय जमा करने में असफल रहता है, तो की गयी विलम्ब अवधि के लिये 02 प्रतिशत की दर से ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।
	उपकर निर्धारण अधिकारी द्वारा उपकर निर्धारण आदेश जारी करते समय भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 9 में दी गयी व्यवस्थानुसार पेनाल्टी लगायी जायेगी। पेनाल्टी लगाने हेतु उपकर निर्धारण आदेश में निर्धारित नियत तिथि तक यदि निर्माणकर्ता आदेशित उपकर की धनराशि नहीं जमा

<table>
<tr><td>10</td><td>करता है, तो नियोक्ता को पेनाल्टी अधिरोपित करने हेतु पृथक से कारण बताओं नोटिस दी जाएगी तथा नियोक्ता को युक्ति संगत रीति से अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान किया जायेगा। उपकर निर्धारण अधिकारी पेनाल्टी के संबंध में आदेश पारित करते समय पेनाल्टी अधिरोपित किये जाने के कारणों का उल्लेख करते हुए मुखरित आदेश पारित करेगा।</td></tr>
<tr><td>11</td><td>उपकर निर्धारण अधिकारी द्वारा विस्तृत उपकर निर्धारण आदेश पारित किया जायेगा, जिसमें इस तथ्य का भी स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा कि उसके द्वारा किस आधार पर उपकर का निर्धारण किया गया है।
उदाहरणार्थ:-
1. मानचित्र के अनुसार स्वीकृत निर्माण कार्य (असेसमेंट)
बेसमेंट = 2337.70 वर्गमी0
लागत@18730 = 4,37,85,121
भूतल एवं प्रथम तल (व्यवसायिक) = 2025.13 वर्गमी0
लागत@15200 = 3,07,81,976
द्वितीय तल से छठवें तल तक लिफ्ट एवं सीढी (आवासीय) = 4979.13 वर्गमी0
लागत@14450 = 7,19,48,429
सातवां तल(आवासीय) = 736.99 वर्गमी0
लागत@14700 =1,08,33,753

2. अप्रैल 2017 तक निर्माण का प्रतिशत = 100%
3. 100 प्रतिशत निर्माण के सापेक्ष लागत = 15,73,49,279
4. जलापूर्ति आन्तरिक विद्युतीकरण वाह्य जल कार्य सम्मिलित हो, लागत@29.50% =4,64,18,037
5. कुल निर्माण लागत = 20,37,67,315
6. उपकर की धनराशि (@1प्रतिशत) = 20,37,673
7. देय सेस के सापेक्ष जमा धनराशि = 3,03,552
8. अवशेष शुद्ध जमा की जाने वाली उपकर की धनराशि = 17,34,121</td></tr>
<tr><td>12</td><td>उपकर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उपकर निर्धारण आदेश पारित किये जायेगें तथा एकपक्षीय उपकर निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व</td></tr>
</table>

	अधिष्ठान के स्वामित्व की पुष्टि अवश्य की जायेगी जिससे कम से कम वसूली प्रमाण पत्र वापस लिये जाने की कार्यवाही हो।
13	सेवायोजक द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण यदि एकपक्षीय उपकर निर्धारण आदेश पारित किया गया है, तो एकपक्षीय उपकर निर्धारण आदेशों के पुनर्स्थापना की प्रक्रिया नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त एवं सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9, नियम-13 तथा लिमिटेशन एक्ट के प्राविधानों एवं अन्य सुसंगत विधिक प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चत किया जायेगा। सेवायोजक द्वारा प्रस्तुत पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र पर विशेष परिस्थितियों/पर्याप्त औचित्य पाये जाने की स्थिति में यदि यह तथ्य स्थापित होता है कि जिसके विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया है वही अधिष्ठान स्वामी है, तो सम्बन्धित अधिष्ठान पर उनके अनुसार देय उपकर की पूर्ण धनराशि उपकर निर्धारण अधिकारी के समक्ष जमा करने के उपरान्त प्रस्तुत वाद पुनर्स्थापित किया जायेगा तथा विलम्बतम् तीन माह के अन्दर ऐसे समस्त उपकर निर्धारण वादों को उपकर निर्धारण अधिकारी द्वारा निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा तथा पुनर्स्थापित किये जाने वाले वादों को पंजिका में भी अंकित किया जायेगा।
14	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के नियम-13 के अनुसार उपकर निर्धारण अधिकारी असंदत्त उपकर, अतिशोध्य संदाय के लिये ब्याज की रकम विनिर्दिष्ट करते हुए अपने हस्ताक्षर से प्रमाण-पत्र तैयार कर संबंधित जिले के कलेक्टर को भेजेगा, जिसके द्वारा उक्त नियोजक से इसके अधीन विनिर्दिष्ट धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भांति की जाएगी।
15	प्रत्येक उपकर निर्धारण अधिकारी द्वारा उपकर के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में अभिलेखों/सूचनाओं के रख-रखाव की ऑनलाइन व्यवस्था पोर्टल (https://cessupbocw.in) पर सुनिश्चित किया जाएगा जिसमें वर्षवार उपकर निर्धारण के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही, यथा प्रेषित नोटिसों की संख्या दिनांक सहित, उपकर नोटिस में निहित धनराशि, उपकर निर्धारण आदेश में निहित धनराशि, जमा उपकर धनराशि दिनांक सहित एवं अवशेष उपकर की धनराशि का विवरण होगा। इस सम्बन्ध में श्रम आयुक्त, उ0प्र0/बोर्ड कार्यालय द्वारा प्रारूप का निर्धारण किया जायेगा। साथ ही इसी प्रारूप के अनुसार जनपद/मण्डल स्तर पर हार्ड कॉपी में भी सूचना का रख-रखाव किया जायेगा।
16	06 माह की निर्धारित अवधि में उपकर निर्धारण अधिकारियों द्वारा वादों का निस्तारण न होने पर लम्बित वादों की मण्डलवार समेकित सूचना से प्रत्येक माह श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश/सचिव बी0ओ0सी0 बोर्ड को अवगत कराया जाएगा, जिसकी समीक्षा श्रम आयुक्त, उ0प्र0/सचिव यू0पी0बी0ओ0सी0डब्ल्यू0 बोर्ड के स्तर पर की जायेगी।
17	उपकर वादों में उपकर वाद संख्या अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपकर वादों से संबंधित पंजिका में उसकी प्रविष्टि आवश्यक रूप से करायी जायेगी तथा इसमें उपकर निर्धारण अधिकारियों के मध्य उनकी सीमाओं के अनुसार उपकर वादों का आवंटन किया जाना तथा उपकर वाद लिपिक द्वारा उपकर वाद पंजिका का रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा, जिसमें क्रम संख्या, वाद संख्या, पक्षकारों के नाम व पता, सम्मन/नोटिस संख्या एवं तिथि, सुनवाई की पहली तिथि, आदेश की तिथि, आदेशित उपकर की धनराशि, आदेशित ब्याज एवं ब्याज निर्धारण की तिथि, आदेशित अर्थदण्ड

	एवं अर्थदण्ड निर्धारण की तिथि, वसूली प्रमाण पत्र की संख्या, तिथि एवं धनराशि, उपकर/ब्याज/अर्थदण्ड जमा होने की तिथि एवं धनराशि को अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
18	समस्त उपकर निर्धारण अधिकारी उपरोक्त एस0ओ0पी0 का प्रयोग एक मार्गदर्शन के रूप में करेगें तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सुसंगत नियमावली, 2009, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 संगत उपकर नियमावली, 1998 व समय-समय पर शासन द्वारा उपकर निर्धारण के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेगें।

Digitally signed by
M.K SHANMUGA SUNDARAM
Date: 10-09-2025 18:12:28

(डॉ0 एम0के0 शन्मुगा सुन्दरम्)
प्रमुख सचिव

भवन एवं अन्य सन्निर्माण (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत निरीक्षण एवं अनुवर्ती कार्यवाही के सम्बन्ध में मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure)

श्रमायुक्त संगठन के अन्तर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-42 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्याः 1379/36-3-99 दिनांक 13.09.1999 द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय/जनपदीय कार्यालयों में नियुक्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी/सहायक/उप/अपर श्रमायुक्त, सहायक/उप/निदेशक कारखाना तथा कार्यालय श्रम आयुक्त में तैनात सहायक/उप/अपर श्रमायुक्तों को उनके अधिकारिता सीमा के अन्तर्गत निरीक्षक नियुक्त किया गया है।

प्रश्नगत अधिनियम के अन्तर्गत किये जाने वाले निरीक्षण व तदानुसार अनुवर्ती कार्यवाहियों का उद्देश्य निर्माण स्थल का पंजीयन कराना, निर्माण प्रक्रिया में नियोजित कर्मकारों की कार्यदशाओं में विनियमन कराना, कर्मकारों को नियमानुसार मजदूरी एवं अन्य हितलाभ देयता को सुनिश्चित कराना एवं समाजिक सुरक्षा प्रदान कराया जाना है। इसके अतिरिक्त निरीक्षण की कार्यवाही के समय निर्माण स्थल एवं नियोजक से सम्बन्धित विवरण प्राप्त करना तथा निर्माण कार्य की अनुमानित लागत का आकलन करना है जिसके आधार पर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत उपकर निर्धारण एवं उपकर संग्रहण अधिकारियों द्वारा उपकर संग्रहण की कार्यवाही की जाती है।

भारत के नियन्त्रक एवं लेखा परीक्षक प्रतिवेदन कोड संख्या-34 "Performance Audit on Welfare of Building and other Construction Workers-ref" में प्रतिवेदन अध्याय 7 के सम्बन्ध में की गयी आपत्ति के स्थायी रूप से निराकरण हेतु भवन एवं अन्य सन्निर्माण (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सुसंगत नियमावली, 2009 के अन्तर्गत किये जाने वाले निरीक्षण एवं तदानुसार अनुवर्ती कार्यवाहियों हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) नियत की जाती है:-

क्र0सं0	मानक संचालन प्रक्रिया
1	निरीक्षण का कार्य विभिन्न क्षेत्रीय/जनपदीय कार्यालयों में तैनात श्रम प्रवर्तन अधिकारियों के साथ-साथ सहायक/उप/अपर श्रमायुक्त द्वारा भी किया जायेगा। निरीक्षण के लक्ष्यों का निर्धारण श्रम आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा समय-समय पर किया जायेगा। उप/अपर श्रमायुक्त द्वारा आवश्यकतानुसार निरीक्षण की कार्यवाही की जायेगी, इस हेतु उनके द्वारा श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश से अनुमति प्राप्त की जायेगी। आकस्मिक रूप से निरीक्षण की स्थिति में उप/अपर श्रमायुक्त के द्वारा श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश से दूरभाष पर अनुमति प्राप्त करते हुए कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2	सहायक निदेशक, कारखाना द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत सुरक्षा संबंधी प्रावधानों यथा धारा-38 एवं धारा 39 तथा नियमावली, 2009 के नियम 60 से लेकर नियम 252 के अन्तर्गत निर्माण प्रतिष्ठानों का निर्धारित लक्ष्य के अनुसार निरीक्षण की कार्यवाही की

	जायेगी। सहायक/उप/अपर श्रमायुक्त, अपनी निरीक्षण टिप्पणियाॅ अपने से एक स्तर उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करेंगें।
3	निरीक्षण हेतु पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप श्रम प्रवर्तन अधिकारी/सहायक श्रमायुक्त संबंधित क्षेत्रीय उप/अपर श्रमायुक्त से निरीक्षण की अनुमति प्राप्त करेंगें तथा उप/अपर श्रमायुक्त, निरीक्षण हेतु मुख्य निरीक्षक/श्रम आयुक्त, उ0प्र0 से अनुमति प्राप्त करेंगे।
4	निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय अधिनियम की धारा-2(1)(जे) में उल्लिखित स्थापन की परिभाषा को संज्ञान में रखते हुए निरीक्षण कार्य किया जायेगा तथा निर्मित या निर्माणाधीन निजी रिहायसी भवनों का निरीक्षण करते समय प्रथम दृष्टया यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्माण लागत रू0 10 लाख या उससे अधिक हो।
5	किसी भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिकों की संख्या के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा-1(4) को संज्ञान में रखा जायेगा अर्थात अधिष्ठान में 10 या 10 से अधिक श्रमिक नियोजित हो या पूर्ववर्ती 12 मास में किसी भी दिन नियोजित रहे हों।
6	निरीक्षण टिप्पणी में आवासीय, व्यवसायिक अथवा मिश्रित प्रकृति का निर्माण तथा सरकारी अथवा गैर सरकारी निर्माण का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।
7	निरीक्षण किये जाते समय यथा सम्भव भवन निर्माण स्वामी/निर्माण कार्य हेतु उत्तरदायी व्यक्ति का मोबाइल नम्बर एवं ईमेल आई0डी0 प्राप्त की जायेगी और उसका अंकन निरीक्षण टिप्पणी में किया जायेगा।
8	निरीक्षण टिप्पणी में कार्य स्थल का पता स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा। कार्य स्थल का पूर्ण पता ज्ञात न होने की स्थिति में उसके आस-पास के प्रतिष्ठानों यथा कोई स्कूल, अस्पताल इत्यादि का इस प्रकार उल्लेख किया जायेगा कि निर्माण स्थल की स्पष्ट पहचान की जा सकें। इसके अतिरिक्त यथा सम्भव सेवायोजक के निवास या सेवायोजक द्वारा संचालित अन्य किसी प्रतिष्ठान का पता भी अंकित किया जायेगा।
9	निरीक्षण टिप्पणी में निर्मित भवन एवं अन्य सन्निर्माण का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में अंकित किया जायेगा साथ ही निर्मित किये जा रहे तलों की संख्या भी अंकित की जायेगी। साथ ही प्रत्येक तल का निर्मित/निर्माणाधीन आच्छादित क्षेत्रफल (Covered Area) तथा अनाच्छादित क्षेत्रफल (Uncovered Area) का स्पष्ट अंकन किया जायेगा।
10	प्रतिष्ठान के निरीक्षण के उपरान्त निरीक्षण टिप्पणी को 48 घण्टे के भीतर पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
11	निरीक्षणोंपरान्त निरीक्षण टिप्पणी की एक प्रति मौके पर प्राप्त उपस्थित सेवायोजक/भवन स्वामी/निर्माण कार्य हेतु उत्तरदायी व्यक्ति को मौके पर ही हस्तगत करायी जायेगी।
12	यदि सेवायोजक द्वारा मौके पर निरीक्षण टिप्पणी लेने से इंकार किया जाता है तो निरीक्षण टिप्पणी को पंजीकृत डाक/पत्र वाहक के अतिरिक्त, इलेक्ट्रानिक माध्यम से भी भेजी जायेगी तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्राविधानों के अनुसार तामील करायी जायेगी। यदि फिर भी तामीली नहीं हो पाती है तो निरीक्षण टिप्पणी को अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रम आयुक्त, उ0प्र0 कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त समस्त कार्यवाही एक माह के भीतर पूर्ण की जायेगी।

13	सेवायोजक को निरीक्षण के उपरान्त, निरीक्षण टिप्पणी में दर्शाये गये उल्लंघनों के अनुपालन हेतु निरीक्षक द्वारा 15 दिन का समय दिया जायेगा।
14	उपर्युक्त 15 दिन में अनुपालन न करने पर सहायक/उप/अपर श्रमायुक्त, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा सेवायोजक को पंजीकृत डाक तथा यथा सम्भव इलेक्ट्रानिक माध्यम से निरीक्षण टिप्पणी की प्रति सहित नोटिस प्रेषित करते हुए 15 दिन का अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा जिसमें निरीक्षण टिप्पणी का अनुपालन नियत समय में किये जाने का उल्लेख किया जायेगा।
15	अतिरिक्त अवसर दिये जाने पर भी यदि सेवायोजक द्वारा अनुपालन नहीं किया जाता है तो एक सप्ताह के अन्दर निरीक्षण टिप्पणी प्राभियोजन/अर्थदण्ड आदि की अनुशंसा सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यालय श्रम आयुक्त, उ0प्र0 को प्रेषित कर दी जायेगी। उक्त अनुशंसा के साथ कि सेवायोजक द्वारा निरीक्षण में दर्शाये गये उल्लंघनों के सम्बन्ध में यदि कोई उत्तर दिया गया है अथवा कोई आंशिक अनुपालन किया गया है तो उसका भी उल्लेख किया जायेगा।
16	कार्यालय श्रम आयुक्त, उ0प्र0 में निरीक्षण टिप्पणी प्राप्त होने पर सेवायोजक को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पुनः 15 दिनों के भीतर अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने सम्बन्धी नोटिस प्रेषित की जायेगी और उसकी प्रति संबंधित निरीक्षक को सूचनार्थ एवं तामीली कराने हेतु भी भेजी जायेगी।
17	मुख्य निरीक्षक के स्तर से प्रेषित नोटिस में उल्लिखित धाराओं का सेवायोजक द्वारा अनुपालन न किये जाने पर मुख्य निरीक्षक के स्तर से प्राभियोजन दायर किये जाने हेतु निरीक्षक को अधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा तथा सेवायोजक के विरूद्ध अर्थदण्ड अधिरोपण की कार्यवाही की जायेगी तथा अर्थदण्ड समय से जमा न करने क्षेत्रीय अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त द्वारा वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
18	निरीक्षण के सम्बन्ध में मुख्यालय से अधिकार पत्र प्राप्त होने की दशा में 15 दिन के अन्दर माननीय न्यायालय में प्राभियोजन दायर किया जायेगा और उसकी सूचना श्रम आयुक्त, उ0प्र0 कार्यालय को एम0आई0एस0 फीडिंग के माध्यम से दी जायेगी। साथ ही निरीक्षणोपरान्त निरीक्षण टिप्पणी को पोर्टल पर अपलोड किये जाने से अभियोजन दायर किये जाने तक की कार्यवाही 03 मास के भीतर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
19	यदि निरीक्षण के उपरान्त किसी भी कारण से निरीक्षणकर्ता अधिकारी का उक्त जनपद से स्थानान्तरण हो जाता है तो क्षेत्रीय/जनपदीय कार्यालयों में अधिकार पत्र प्राप्ति के 07 दिनों के अन्दर सम्बन्धित सहायक/उप श्रमायुक्त द्वारा उक्त का उल्लेख करते हुए सम्बन्धित क्षेत्र के प्रभारी निरीक्षक का नाम श्रम आयुक्त, उ0प्र0 कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए उसके नाम से अधिकार पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया जायेगा।
20	अपर/उप/स्वतंत्र जनपदों के प्रभारी सहायक श्रमायुक्त/जनपदीय श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय द्वारा निरीक्षण एवं अनुवर्ती कार्यवाही का विवरण पोर्टल पर अपलोड/फीड करते हुए अद्यतन रखा जायेगा, जिससे प्रत्येक निरीक्षण टिप्पणी की ट्रैकिंग की जा सके।

21	क्षेत्रीय सहायक/उप/अपर श्रम आयुक्त द्वारा कार्यालय में एक ऑनलाइन निरीक्षण रजिस्टर का रख-रखाव किया जायेगा जिसमें बी0ओ0सी0डब्लू अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत प्रत्येक निरीक्षण एवं अनुवर्ती कार्यवाही का विवरण रखा जायेगा एवं प्रत्येक 15 दिनों पर रजिस्टर का अवलोकन क्षेत्रीय सहायक/उप/अपर श्रम आयुक्त, द्वारा करते हुए **ऑनलाइन रजिस्टर (Online Registers)** की सभी प्रविष्टियों को अद्यतन रखवाने का कार्य करेगें।
22	किसी जनपद में श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत किये गये निरीक्षणों के सम्बन्ध में प्रतिपालित प्रतिष्ठानों में से अधिकतम 05 प्रतिशत अथवा न्यूनतम 01 प्रतिष्ठान के निरीक्षण (जो अधिक हो) का सत्यापन सहायक श्रमायुक्त द्वारा किया जायेगा। जिन जनपदों में सहायक श्रमायुक्त की नियुक्ति नहीं होगी ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त अथवा क्षेत्र के किसी अन्य जनपद के सहायक श्रमायुक्त को नामित कर सत्यापन कराया जायेगा। इस हेतु प्रतिष्ठानों की सूची कम्प्यूटर द्वारा रेण्डम आधार पर वार्षिक रूप से मुख्यालय स्तर से जनरेट की जायेगी।

Digitally signed by
M.K SHANMUGA SUNDARAM
Date: 10-09-2025 18:14:59

(डॉ0 एम0के0 शन्मुगा सुन्दरम्)
प्रमुख सचिव

महत्त्वपूर्ण

संख्या-I/1080273/2025-1811103

प्रेषक,

डॉ0 एम0के0 शन्मुगा सुन्दरम्,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
7. निदेशक, कारखाना, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत।

श्रम अनुभाग-2 **लखनऊ, दिनांक : 06-09-2025**

विषय: **भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत निरीक्षण एवं अनुवर्ती कार्यवाही तथा उपकर निर्धारण व उपकर संग्रहण हेतु पृथक-पृथक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के निर्धारण के संबंध में।**

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सपठित उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) नियमावली, 2009 तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 सपठित भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में समस्त निर्मित/निर्माणाधीन निजी भवनों/रिहायसी भवनों/कारखानों, जिनकी निर्माण लागत रूपये 10 लाख से अधिक है, पर उनकी निर्माण लागत के सापेक्ष 01 प्रतिशत धनराशि उपकर (लेबर सेस) के रूप में वसूल किये जाने का प्राविधान है।

2. यह भी अवगत कराना है कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-42 की उपधारा (3) के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रीय/जनपदीय कार्यालयों में नियुक्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी/सहायक/उप/अपर श्रमायुक्त, सहायक/उप/निदेशक कारखाना तथा कार्यालय श्रम आयुक्त में तैनात सहायक/उप/अपर श्रमायुक्तों को उनके अधिकारिता सीमा के अन्तर्गत 'निरीक्षक' नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिकारियो द्वारा अधिनियम के प्राविधानानुसार प्रतिष्ठानो का निरीक्षण व तद्नुसार अनुवर्ती कार्यवाहियों का उद्देश्य निर्माण स्थल का पंजीयन कराना, निर्माण प्रक्रिया में नियोजित कर्मकारों की कार्यदशाओं में विनियमन कराना, कर्मकारों को नियमानुसार मजदूरी एवं अन्य हितलाभ देयता को सुनिश्चित कराना तथा समाजिक सुरक्षा प्रदान कराया जाना है। इसके अतिरिक्त निरीक्षण की कार्यवाही के समय निर्माण स्थल एवं नियोजक से सम्बन्धित विवरण प्राप्त करना तथा निर्माण कार्य की अनुमानित लागत का आकलन करना है जिसके आधार पर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत उपकर निर्धारण एवं उपकर संग्रहण अधिकारियों द्वारा उपकर संग्रहण की कार्यवाही की जाती है।

3. उल्लेखनीय है कि अधिसूचना संख्या-752/36-2-10-46/2010 दिनांक 15.09.2010 द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय अधिकारियों को उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के नियंत्रणाधीन अथवा ठेकेदारों के माध्यम से सभी निर्मित अथवा निर्माणाधीन भवनों एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों पर तथा रूपया 10 लाख और उससे अधिक के सम्पूर्ण निर्माण लागत वाले निजी रिहायशी आवासों (जिनके सम्बन्ध में स्वीकृत/अनुमोदन उनके क्षेत्राधिकार में है) पर भी भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (अधिनियम संख्या 28 सन 1996) के अधीन उपकर निर्धारण एवं उपकर संग्रहक हेतु "निर्धारण अधिकारी" एवं "उपकर संग्राहक" के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनके द्वारा उपकर निर्धारण एवं उपकर संग्राहक अधिकारियों द्वारा उपकर निर्धारण एवं संग्रहण की कार्यवाही की जाती है।

4. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत निरीक्षण एवं अनुवर्ती कार्यवाही तथा उपकर निर्धारण व उपकर संग्रहण के कार्य में एकरूपता लाये जाने के दृष्टिगत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत निरीक्षण एवं अनुवर्ती कार्यवाही तथा उपकर निर्धारण व उपकर संग्रहण हेतु सम्यक विचारोपरान्त पृथक-पृथक **मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure)** निर्धारित की जाती है।

5. इस सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार निर्धारित **मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure)** को संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत निरीक्षण एवं अनुवर्ती कार्यवाही तथा उपकर निर्धारण व उपकर संग्रहण की कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय

Digitally signed by
Shanmuga Sundaram
Date: 06-09-2025
22:15:00

(डॉ0 एम0के0 शन्मुगा सुन्दरम्)
प्रमुख सचिव

<u>संख्या-**I/1080273/2025(1)**, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि समस्त क्षेत्रीय अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया अपने क्षेत्रान्तर्गत निर्माण से सम्बन्धी प्राधिकरण/संस्था, जिनके द्वारा उपकर निर्धारण एवं उपकर संग्रहण की कार्यवाही की जाती है, से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर उपरोक्तानुसार निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया उन्हें उपलब्ध कराते हुए तदनुसार अग्रतर कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध करने का कष्ट करें। (द्वारा श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश)

आज्ञा से

Digitally signed by
KUNAL SILKU
Date: 15-09-2025
17:03:26

(कुणाल सिल्कू)
विशेष सचिव

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत उपकर निर्धारण एवं उपकर संग्रहण की कार्यवाही के सम्बन्ध में मानक संचालन प्रक्रिया (Standered Operating Procedure)

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत निर्माण कार्यों पर (निजी रिहायशी भवनों को छोड़कर जिनकी कुल लागत रूपए दस लाख से कम है) 01 प्रतिशत धनराशि उपकर के रूप में जमा कराये जाने का प्राविधान है। नियमानुसार उपकर संग्रहण सुनिश्चित किये जाने हेतु भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 तत्संबंधी नियमावली, 1998 के नियम-2 के खण्ड (च) एवं (छ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या-1412/36-2-2009-251 (एसएम)/95 दिनांक 20.11.2009 के द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को उनकी अधिकारिता के सीमाओं के अन्तर्गत उपकर निर्धारण अधिकारी एवं उपकर संग्रहण अधिकारी नियुक्त किया गया है।

इसके अतिरिक्त अधिसूचना संख्या-752/36-2-10-46/2010 दिनांक 15.09.2010 द्वारा उपवर्णित नियम-2 के खण्ड (च) एवं (छ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके एवं नियमावली के नियम-7 के साथ पठित सुसंगत अधिनियम की धारा-5 के अधीन परिकल्पित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु सचिव, विकास प्रधिकरण, लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियन्ता स्तर से अनिम्न अधिकारी, सिंचाई विभाग के अधिशाषी अभियन्ता स्तर से अनिम्न अधिकारी, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अधिशाषी स्तर से अनिम्न अधिकारी, सचिव मण्डी परिषद स्तर से अनिम्न अधिकारी, प्रोजेक्ट मैनेजर उ0प्र0 सेतु निगम स्तर से अनिम्न अधिकारी, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम के अधिशाषी अभियन्ता स्तर से अनिम्न अधिकारी, राजकीय नलकूप निगम के अधिशासी अभियन्ता स्तर से अनिम्न अधिकारी, उत्तर प्रदेश जल निगम के अधिशासी अभियन्ता स्तर से अनिम्न अधिकारी, समाज कल्याण निगम के अधिशासी अभियन्ता स्तर से अनिम्न अधिकारी, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अधिशासी अभियन्ता स्तर से अनिम्न अधिकारी, नगर निगम के नगर आयुक्त/अपर/उपनगर आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, खण्ड विकास अधिकारी, सहायक/उप/अपर श्रम आयुक्त, उ०प्र० एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के लिये उनके नियंत्रणाधीन अथवा ठेकेदारों के माध्यम से सभी निर्मित अथवा निर्माणाधीन भवनों एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों पर तथा रूपया 10 लाख और उससे अधिक के सम्पूर्ण निर्माण लागत वाले निजी रिहायशी आवासों (जिनके सम्बन्ध में स्वीकृत/अनुमोदन उनके क्षेत्राधिकार में है) पर भी भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (अधिनियम संख्या 28 सन 1996) के अधीन उपकर निर्धारण एवं उपकर संग्रहक हेतु "निर्धारण अधिकारी" एवं "उपकर संग्राहक" के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनके द्वारा उपकर निर्धारण एवं उपकर संग्रहक अधिकारियों द्वारा उपकर निर्धारण एवं संग्रहण की कार्यवाही की जाती है।

उपकर निर्धारण वादों में समयबद्ध व एकरूपता के साथ निस्तारण करने तथा उसमें होने वाली पृच्छाओं के निस्तारण हेतु एक उपकर निर्धारण एवं उपकर संग्रहण की मानक संचालन प्रक्रिया निम्नवत है:-

क्र0सं0	मानक संचालन प्रक्रिया
1	निर्माणाधीन भवन/निर्मित भवन/निर्माण कार्य के सम्बन्ध में निर्गत निरीक्षण टिप्पणी/अन्य स्रोतों से अनुमानित निर्माण लागत की सूचना प्राप्त होने पर सहायक/उप/अपर श्रमायुक्त उ0प्र0/उत्तर प्रदेश सरकार श्रम अनुभाग-2 अधिसूचना संख्याः 752/36-2-10-46/2010 दिनांक 15.09.2010 द्वारा नियुक्त उपकर निर्धारण एवं उपकर संग्रहण अधिकारियों द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत उपकर निर्धारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। सभी स्तरों से जारी उपकर निर्धारण आदेश की प्रतिलिपि श्रमायुक्त, उ0प्र0 एवं उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (यू0पी0बी0ओ0सी0डब्लू0 बोर्ड) को पृष्ठांकित की जायेगी तथा सेस पोर्टल (https://cessupbocw.in) पर भी अपलोड किया जायेगा और यह प्रयास किया जायेगा कि उपकर निर्धारण की कार्यवाही सेस पोर्टल (Cess Portal) पर ऑनलाइन ही किया जाए तथा ऑफलाइन सुनवाई निर्धारण की स्थिति में सेस पोर्टल पर उनकी प्रविष्टि सुनिश्चित की जाए।
2	निरीक्षण के अतिरिक्त जी0आई0एस0 सर्वेक्षण तथा कार्यदायी संस्थाओं जैसे-ऊर्जा विभाग, विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत आदि से ऑनलाइन एवं अन्य माध्यम से प्राप्त सूचना/जानकारी के आधार पर भी उपकर पोर्टल (https://cessupbocw.in) माध्यम से ऑनलाइन उपकर निर्धारण की कार्यवाही की जायेगी।
3	उपकर निर्धारण अधिकारी द्वारा उपकर निर्धारण वादों को पंजीकृत करने के पश्चात सेवायोजक/भवन स्वामी को ऑनलाइन उपकर संबंधी नोटिस तैयार कराते हुए सर्वप्रथम यह प्रयास किया जाएगा कि नोटिस की तामीली ऑनलाइन की जाए अन्यथा की स्थिति में रजिस्टर्ड डाक/विशेष पत्रवाहक के माध्यम से आवश्यकतानुसार नोटिस तामीली की जायेगी तथा उससे निर्माण कार्य की लागत के आगणन हेतु आवश्यकतानुसार अभिलेख यथा प्रपत्र-1, स्वीकृत मानचित्र/नक्शा व अन्य सुसंगत अभिलेखों के अतिरिक्त यदि उपकर निर्धारण अधिकारी आवश्यक समझे, तो सेवायोजक/भवन स्वामी से यह भी अपेक्षा कर सकता है कि निर्माण स्थल की विभिन्न कोणों से ली गयी प्रमाणित फोटो भी अन्य अभिलेखों के साथ संलग्न करें।
4	समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त/प्रभारी जनपदीय श्रम प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा मण्डल/जनपद स्तर पर मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में आयोजित मासिक समीक्षा बैठकों एवं जिला श्रम बंधु की बैठकों में कार्यदायी संस्थाओं/विकास प्राधिकरणों/स्थानीय नगर निकायों के अधिकारियों को उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में 30 दिन के अन्दर आवश्यक रूप से जमा कराने हेतु निर्देशित कराया जाए। क्षेत्रीय अधिकारी प्रत्येक माह इसकी समीक्षा भी करेंगें।
	किसी वाद के स्थापित किये जाने पर अग्रेतर उसका निस्तारण भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के नियम-7(1) के अनुसार फार्म-1 प्राप्त होने पर उपकर निर्धारण अधिकारी, प्रस्तुत की गयी सूचना की समीक्षा करेगा तथा प्रस्तुत की गयी विशिष्टियों के प्रति संतुष्ट होने पर प्रारूप-1 में ऐसी सूचना होने की

5	तारीख से 06 माह से अनधिक अवधि के भीतर निर्धारण का आदेश करेगा जिसमें नियोजक द्वारा संदेय उपकर की धनराशि उपदर्शित होगी और उसकी एक-एक प्रति नियोजक, श्रमायुक्त, उ0प्र0 एवं यू0पी0बी0ओ0सी0डब्ल्यू0बोर्ड को पृष्ठांकित करेगा तथा आदेश को, आदेश किये जाने की तारीख से 05 दिन के भीतर प्रेषित करेगा तथा ऐसे प्रकरण जिनमें ऑफलाइन उपकर निर्धारण किया गया हो, को ऑफलाइन कार्यवाही किये जाने का कारण अंकित करते हुए 48 घण्टे के अन्दर आदेश को सेस पोर्टल (https://cessupbocw.in) भी अपलोड किया जायेगा।
6	यदि सेवायोजक द्वारा प्रस्तुत प्रारूप-1 की समीक्षा करने पर उपकर निर्धारण अधिकार को यह प्रतीत होता है कि नियोजक ने सन्निर्माण की लागत का न्यून लागत या मिथ्या संगणन किया है तो वह नियोजक को उपकर के निर्धारण हेतु नोटिस जारी करेगा तथा यदि सेवायोजक द्वारा नोटिस प्राप्ति के भीतर अपने दावे के समर्थन में अभिलेख/अन्य साक्ष्य सहित उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उपलब्ध अभिलेखों और उससे अनुसांगिक जानकारियों के आधार पर निर्धारण प्रारम्भ कर देगा तथा निर्धारण कार्य की प्रगति के दौरान किसी भी समय उपकर निर्धारण अधिकारी, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के नियम-7 के उपनियम-6 के अन्तर्गत ऐसे अधिकारियों जिन्हें वह उचित समझे, के निर्माण लागत के यथा सम्भव सटीक आकलन हेतु अधिकृत करेगा।
7	अध्यक्ष, यू0पी0बी0ओ0सी0डब्ल्यू0 बोर्ड के आदेश दिनांक 04.12.2018 के क्रम में उपकर निर्धारण अधिकारियों द्वारा उपकर का निर्धारण पी0डब्लू0डी0/सी0पी0डब्लू0डी0 (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग) की दरों के आधार पर किया जायेगा।
8	सेवायोजक द्वारा प्रारूप-1 पर सूचना न दिये जाने की स्थिति में अथवा उपकर निर्धारण अधिकारी के समक्ष वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में उपकर निर्धारण अधिकारी द्वारा अन्य द्वितीयक स्रोतों/स्थलीय जॉच के आधार पर निर्माण लागत का आगणन पी0डब्लू0डी0/सी0पी0डब्ल्यू0डी0 की दरों के आधार पर करते हुए उपकर निर्धारण का आदेश जारी किया जायेगा तथा आदेश में यह अंकित किया जायेगा कि भविष्य में किसी प्रकार की उपकर सम्बन्धी देयता का उत्तरदायित्व सेवायोजक का ही होगा। साथ ही ऐसे प्रकरणों की सूचना उपकर पोर्टल के डैशबोर्ड के माध्यम से देखे जाने की व्यवस्था बोर्ड स्तर से सुनिश्चित करायी जाए तथा जनपद/मण्डल, कार्यालय स्तर पर भी **ऑनलाइन रजिस्टर (Online Registers)** में ''कार्यालय की सूचना के आधार पर उपकर निर्धारण'' श्रेणी अंकित किया जायेगा।
9	उपकर निर्धारण अधिकारी द्वारा उपकर निर्धारण आदेश में यह अंकित किया जायेगा कि यदि सेवायोजक निर्दिष्ट समय के भीतर उपकर संदाय जमा करने में असफल रहता है, तो की गयी विलम्ब अवधि के लिये 02 प्रतिशत की दर से ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।
	उपकर निर्धारण अधिकारी द्वारा उपकर निर्धारण आदेश जारी करते समय भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 9 में दी गयी व्यवस्थानुसार पेनाल्टी लगायी जायेगी। पेनाल्टी लगाने हेतु उपकर निर्धारण आदेश में निर्धारित नियत तिथि तक यदि निर्माणकर्ता आदेशित उपकर की धनराशि नहीं जमा

10	करता है, तो नियोक्ता को पेनाल्टी अधिरोपित करने हेतु पृथक से कारण बताओं नोटिस दी जाएगी तथा नियोक्ता को युक्ति संगत रीति से अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान किया जायेगा। उपकर निर्धारण अधिकारी पेनाल्टी के संबंध में आदेश पारित करते समय पेनाल्टी अधिरोपित किये जाने के कारणों का उल्लेख करते हुए मुखरित आदेश पारित करेगा।	
11	उपकर निर्धारण अधिकारी द्वारा विस्तृत उपकर निर्धारण आदेश पारित किया जायेगा, जिसमें इस तथ्य का भी स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा कि उसके द्वारा किस आधार पर उपकर का निर्धारण किया गया है। **उदाहरणार्थ:-** 1. मानचित्र के अनुसार स्वीकृत निर्माण कार्य (असेसमेंट) बेसमेंट लागत@18730 भूतल एवं प्रथम तल (व्यवसायिक) लागत@15200 द्वितीय तल से छठवें तल तक लिफ्ट एवं सीढी (आवासीय) लागत@14450 सातवां तल(आवासीय) लागत@14700 2. अप्रैल 2017 तक निर्माण का प्रतिशत 3. 100 प्रतिशत निर्माण के सापेक्ष लागत 4. जलापूर्ति आन्तरिक विद्युतीकरण वाह्य जल कार्य सम्मिलित हो, लागत@29.50% 5. कुल निर्माण लागत 6. उपकर की धनराशि (@1प्रतिशत) 7. देय सेस के सापेक्ष जमा धनराशि 8. अवशेष शुद्ध जमा की जाने वाली उपकर की धनराशि	 = 2337.70 वर्गमी0 = 4,37,85,121 = 2025.13 वर्गमी0 = 3,07,81,976 = 4979.13 वर्गमी0 = 7,19,48,429 = 736.99 वर्गमी0 =1,08,33,753 = 100% = 15,73,49,279 =4,64,18,037 = 20,37,67,315 = 20,37,673 = 3,03,552 = 17,34,121
12	उपकर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उपकर निर्धारण आदेश पारित किये जायेगें तथा एकपक्षीय उपकर निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व	

	अधिष्ठान के स्वामित्व की पुष्टि अवश्य की जायेगी जिससे कम से कम वसूली प्रमाण पत्र वापस लिये जाने की कार्यवाही हो।
13	सेवायोजक द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण यदि एकपक्षीय उपकर निर्धारण आदेश पारित किया गया है, तो एकपक्षीय उपकर निर्धारण आदेशों के पुनर्स्थापना की प्रक्रिया नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त एवं सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9, नियम-13 तथा लिमिटेशन एक्ट के प्राविधानों एवं अन्य सुसंगत विधिक प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा। सेवायोजक द्वारा प्रस्तुत पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र पर विशेष परिस्थितियों/पर्याप्त औचित्य पाये जाने की स्थिति में यदि यह तथ्य स्थापित होता है कि जिसके विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया है वही अधिष्ठान स्वामी है, तो सम्बन्धित अधिष्ठान पर उनके अनुसार देय उपकर की पूर्ण धनराशि उपकर निर्धारण अधिकारी के समक्ष जमा करने के उपरान्त प्रस्तुत वाद पुनर्स्थापित किया जायेगा तथा विलम्बतम् तीन माह के अन्दर ऐसे समस्त उपकर निर्धारण वादों को उपकर निर्धारण अधिकारी द्वारा निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा तथा पुनर्स्थापित किये जाने वाले वादों को पंजिका में भी अंकित किया जायेगा।
14	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के नियम-13 के अनुसार उपकर निर्धारण अधिकारी असंदत्त उपकर, अतिशोध्य संदाय के लिये ब्याज की रकम विनिर्दिष्ट करते हुए अपने हस्ताक्षर से प्रमाण-पत्र तैयार कर संबंधित जिले के कलेक्टर को भेजेगा, जिसके द्वारा उक्त नियोजक से इसके अधीन विनिर्दिष्ट धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भांति की जाएगी।
15	प्रत्येक उपकर निर्धारण अधिकारी द्वारा उपकर के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में अभिलेखों/सूचनाओं के रख-रखाव की ऑनलाइन व्यवस्था पोर्टल (https://cessupbocw.in) पर सुनिश्चित किया जाएगा जिसमें वर्षवार उपकर निर्धारण के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही, यथा प्रेषित नोटिसों की संख्या दिनांक सहित, उपकर नोटिस में निहित धनराशि, उपकर निर्धारण आदेश में निहित धनराशि, जमा उपकर धनराशि दिनांक सहित एवं अवशेष उपकर की धनराशि का विवरण होगा। इस सम्बन्ध में श्रम आयुक्त, उ0प्र0/बोर्ड कार्यालय द्वारा प्रारूप का निर्धारण किया जायेगा। साथ ही इसी प्रारूप के अनुसार जनपद/मण्डल स्तर पर हार्ड कॉपी में भी सूचना का रख-रखाव किया जायेगा।
16	06 माह की निर्धारित अवधि में उपकर निर्धारण अधिकारियों द्वारा वादों का निस्तारण न होने पर लम्बित वादों की मण्डलवार समेकित सूचना से प्रत्येक माह श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश/सचिव बी0ओ0सी0 बोर्ड को अवगत कराया जाएगा, जिसकी समीक्षा श्रम आयुक्त, उ0प्र0/सचिव यू0पी0बी0ओ0सी0डब्ल्यू0 बोर्ड के स्तर पर की जायेगी।
17	उपकर वादों में उपकर वाद संख्या अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपकर वादों से संबंधित पंजिका में उसकी प्रविष्टि आवश्यक रूप से करायी जायेगी तथा इसमें उपकर निर्धारण अधिकारियों के मध्य उनकी सीमाओं के अनुसार उपकर वादों का आवंटन किया जाना तथा उपकर वाद लिपिक द्वारा उपकर वाद पंजिका का रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा, जिसमें क्रम संख्या, वाद संख्या, पक्षकारों के नाम व पता, सम्मन/नोटिस संख्या एवं तिथि, सुनवाई की पहली तिथि, आदेश की तिथि, आदेशित उपकर की धनराशि, आदेशित ब्याज एवं ब्याज निर्धारण की तिथि, आदेशित अर्थदण्ड

	एवं अर्थदण्ड निर्धारण की तिथि, वसूली प्रमाण पत्र की संख्या, तिथि एवं धनराशि, उपकर/ब्याज/अर्थदण्ड जमा होने की तिथि एवं धनराशि को अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
18	समस्त उपकर निर्धारण अधिकारी उपरोक्त एस0ओ0पी0 का प्रयोग एक मार्गदर्शन के रूप में करेगें तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सुसंगत नियमावली, 2009, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 संगत उपकर नियमावली, 1998 व समय-समय पर शासन द्वारा उपकर निर्धारण के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेगें।

Digitally signed by
M.K SHANMUGA SUNDARAM
Date: 10-09-2025 18:12:28

(डॉ0 एम0के0 शन्मुगा सुन्दरम्)
प्रमुख सचिव

<u>भवन एवं अन्य सन्निर्माण (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत निरीक्षण एवं अनुवर्ती कार्यवाही के सम्बन्ध में मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure)</u>

श्रमायुक्त संगठन के अन्तर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-42 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्याः 1379/36-3-99 दिनांक 13.09.1999 द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय/जनपदीय कार्यालयों में नियुक्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी/सहायक/उप/अपर श्रमायुक्त, सहायक/उप/निदेशक कारखाना तथा कार्यालय श्रम आयुक्त में तैनात सहायक/उप/अपर श्रमायुक्तों को उनके अधिकारिता सीमा के अन्तर्गत निरीक्षक नियुक्त किया गया है।

प्रश्नगत अधिनियम के अन्तर्गत किये जाने वाले निरीक्षण व तदानुसार अनुवर्ती कार्यवाहियों का उद्देश्य निर्माण स्थल का पंजीयन कराना, निर्माण प्रक्रिया में नियोजित कर्मकारों की कार्यदशाओं में विनियमन कराना, कर्मकारों को नियमानुसार मजदूरी एवं अन्य हितलाभ देयता को सुनिश्चित कराना एवं समाजिक सुरक्षा प्रदान कराया जाना है। इसके अतिरिक्त निरीक्षण की कार्यवाही के समय निर्माण स्थल एवं नियोजक से सम्बन्धित विवरण प्राप्त करना तथा निर्माण कार्य की अनुमानित लागत का आकलन करना है जिसके आधार पर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत उपकर निर्धारण एवं उपकर संग्रहण अधिकारियों द्वारा उपकर संग्रहण की कार्यवाही की जाती है।

भारत के नियन्त्रक एवं लेखा परीक्षक प्रतिवेदन कोड संख्या- 34 "Performance Audit on Welfare of Building and other Construction Workers-ref" में प्रतिवेदन अध्याय 7 के सम्बन्ध में की गयी आपत्ति के स्थायी रूप से निराकरण हेतु भवन एवं अन्य सन्निर्माण (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सुसंगत नियमावली, 2009 के अन्तर्गत किये जाने वाले निरीक्षण एवं तदानुसार अनुवर्ती कार्यवाहियों हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) नियत की जाती है:-

क्र0सं0	मानक संचालन प्रक्रिया
1	निरीक्षण का कार्य विभिन्न क्षेत्रीय/जनपदीय कार्यालयों में तैनात श्रम प्रवर्तन अधिकारियों के साथ-साथ सहायक/उप/अपर श्रमायुक्त द्वारा भी किया जायेगा। निरीक्षण के लक्ष्यों का निर्धारण श्रम आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा समय-समय पर किया जायेगा। उप/अपर श्रमायुक्त द्वारा आवश्यकतानुसार निरीक्षण की कार्यवाही की जायेगी, इस हेतु उनके द्वारा श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश से अनुमति प्राप्त की जायेगी। आकस्मिक रूप से निरीक्षण की स्थिति में उप/अपर श्रमायुक्त के द्वारा श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश से दूरभाष पर अनुमति प्राप्त करते हुए कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2	सहायक निदेशक, कारखाना द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत सुरक्षा संबंधी प्रावधानों यथा धारा-38 एवं धारा 39 तथा नियमावली, 2009 के नियम 60 से लेकर नियम 252 के अन्तर्गत निर्माण प्रतिष्ठानों का निर्धारित लक्ष्य के अनुसार निरीक्षण की कार्यवाही की

	जायेगी। सहायक/उप/अपर श्रमायुक्त, अपनी निरीक्षण टिप्पणियाँ अपने से एक स्तर उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करेंगें।
3	निरीक्षण हेतु पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप श्रम प्रवर्तन अधिकारी/सहायक श्रमायुक्त संबंधित क्षेत्रीय उप/अपर श्रमायुक्त से निरीक्षण की अनुमति प्राप्त करेंगें तथा उप/अपर श्रमायुक्त, निरीक्षण हेतु मुख्य निरीक्षक/श्रम आयुक्त, उ0प्र0 से अनुमति प्राप्त करेंगे।
4	निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय अधिनियम की धारा-2(1)(जे) में उल्लिखित स्थापन की परिभाषा को संज्ञान में रखते हुए निरीक्षण कार्य किया जायेगा तथा निर्मित या निर्माणाधीन निजी रिहायसी भवनों का निरीक्षण करते समय प्रथम दृष्टया यह सुनिश्चित किया जायेगा कि निर्माण लागत रू0 10 लाख या उससे अधिक हो।
5	किसी भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिकों की संख्या के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा-1(4) को संज्ञान में रखा जायेगा अर्थात अधिष्ठान में 10 या 10 से अधिक श्रमिक नियोजित हो या पूर्ववर्ती 12 मास में किसी भी दिन नियोजित रहे हों।
6	निरीक्षण टिप्पणी में आवासीय, व्यवसायिक अथवा मिश्रित प्रकृति का निर्माण तथा सरकारी अथवा गैर सरकारी निर्माण का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।
7	निरीक्षण किये जाते समय यथा सम्भव भवन निर्माण स्वामी/निर्माण कार्य हेतु उत्तरदायी व्यक्ति का मोबाइल नम्बर एवं ईमेल आई0डी0 प्राप्त की जायेगी और उसका अंकन निरीक्षण टिप्पणी में किया जायेगा।
8	निरीक्षण टिप्पणी में कार्य स्थल का पता स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा। कार्य स्थल का पूर्ण पता ज्ञात न होने की स्थिति में उसके आस-पास के प्रतिष्ठानों यथा कोई स्कूल, अस्पताल इत्यादि का इस प्रकार उल्लेख किया जायेगा कि निर्माण स्थल की स्पष्ट पहचान की जा सकें। इसके अतिरिक्त यथा सम्भव सेवायोजक के निवास या सेवायोजक द्वारा संचालित अन्य किसी प्रतिष्ठान का पता भी अंकित किया जायेगा।
9	निरीक्षण टिप्पणी में निर्मित भवन एवं अन्य सन्निर्माण का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में अंकित किया जायेगा साथ ही निर्मित किये जा रहे तलों की संख्या भी अंकित की जायेगी। साथ ही प्रत्येक तल का निर्मित/निर्माणाधीन आच्छादित क्षेत्रफल (Covered Area) तथा अनाच्छादित क्षेत्रफल (Uncovered Area) का स्पष्ट अंकन किया जायेगा।
10	प्रतिष्ठान के निरीक्षण के उपरान्त निरीक्षण टिप्पणी को 48 घण्टे के भीतर पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
11	निरीक्षणोंपरान्त निरीक्षण टिप्पणी की एक प्रति मौके पर प्राप्त उपस्थित सेवायोजक/भवन स्वामी/निर्माण कार्य हेतु उत्तरदायी व्यक्ति को मौके पर ही हस्तगत करायी जायेगी।
12	यदि सेवायोजक द्वारा मौके पर निरीक्षण टिप्पणी लेने से इंकार किया जाता है तो निरीक्षण टिप्पणी को पंजीकृत डाक/पत्र वाहक के अतिरिक्त, इलेक्ट्रानिक माध्यम से भी भेजी जायेगी तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के प्राविधानों के अनुसार तामील करायी जायेगी। यदि फिर भी तामीली नहीं हो पाती है तो निरीक्षण टिप्पणी को अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रम आयुक्त, उ0प्र0 कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त समस्त कार्यवाही एक माह के भीतर पूर्ण की जायेगी।

13	सेवायोजक को निरीक्षण के उपरान्त, निरीक्षण टिप्पणी में दर्शाये गये उल्लंघनों के अनुपालन हेतु निरीक्षक द्वारा 15 दिन का समय दिया जायेगा।
14	उपर्युक्त 15 दिन में अनुपालन न करने पर सहायक/उप/अपर श्रमायुक्त, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा सेवायोजक को पंजीकृत डाक तथा यथा सम्भव इलेक्ट्रानिक माध्यम से निरीक्षण टिप्पणी की प्रति सहित नोटिस प्रेषित करते हुए 15 दिन का अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा जिसमें निरीक्षण टिप्पणी का अनुपालन नियत समय में किये जाने का उल्लेख किया जायेगा।
15	अतिरिक्त अवसर दिये जाने पर भी यदि सेवायोजक द्वारा अनुपालन नहीं किया जाता है तो एक सप्ताह के अन्दर निरीक्षण टिप्पणी प्राभियोजन/अर्थदण्ड आदि की अनुशंसा सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यालय श्रम आयुक्त, उ0प्र0 को प्रेषित कर दी जायेगी। उक्त अनुशंसा के साथ कि सेवायोजक द्वारा निरीक्षण में दर्शाये गये उल्लंघनों के सम्बन्ध में यदि कोई उत्तर दिया गया है अथवा कोई आंशिक अनुपालन किया गया है तो उसका भी उल्लेख किया जायेगा।
16	कार्यालय श्रम आयुक्त, उ0प्र0 में निरीक्षण टिप्पणी प्राप्त होने पर सेवायोजक को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पुनः 15 दिनों के भीतर अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने सम्बन्धी नोटिस प्रेषित की जायेगी और उसकी प्रति संबंधित निरीक्षक को सूचनार्थ एवं तामीली कराने हेतु भी भेजी जायेगी।
17	मुख्य निरीक्षक के स्तर से प्रेषित नोटिस में उल्लिखित धाराओं का सेवायोजक द्वारा अनुपालन न किये जाने पर मुख्य निरीक्षक के स्तर से प्राभियोजन दायर किये जाने हेतु निरीक्षक को अधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा तथा सेवायोजक के विरूद्ध अर्थदण्ड अधिरोपण की कार्यवाही की जायेगी तथा अर्थदण्ड समय से जमा न करने क्षेत्रीय अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त द्वारा वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
18	निरीक्षण के सम्बन्ध में मुख्यालय से अधिकार पत्र प्राप्त होने की दशा में 15 दिन के अन्दर माननीय न्यायालय में प्राभियोजन दायर किया जायेगा और उसकी सूचना श्रम आयुक्त, उ0प्र0 कार्यालय को एम0आई0एस0 फीडिंग के माध्यम से दी जायेगी। साथ ही निरीक्षणोपरान्त निरीक्षण टिप्पणी को पोर्टल पर अपलोड किये जाने से अभियोजन दायर किये जाने तक की कार्यवाही 03 मास के भीतर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
19	यदि निरीक्षण के उपरान्त किसी भी कारण से निरीक्षणकर्ता अधिकारी का उक्त जनपद से स्थानान्तरण हो जाता है तो क्षेत्रीय/जनपदीय कार्यालयों में अधिकार पत्र प्राप्ति के 07 दिनों के अन्दर सम्बन्धित सहायक/उप श्रमायुक्त द्वारा उक्त का उल्लेख करते हुए सम्बन्धित क्षेत्र के प्रभारी निरीक्षक का नाम श्रम आयुक्त, उ0प्र0 कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए उसके नाम से अधिकार पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया जायेगा।
20	अपर/उप/स्वतंत्र जनपदों के प्रभारी सहायक श्रमायुक्त/जनपदीय श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय द्वारा निरीक्षण एवं अनुवर्ती कार्यवाही का विवरण पोर्टल पर अपलोड/फीड करते हुए अद्यतन रखा जायेगा, जिससे प्रत्येक निरीक्षण टिप्पणी की ट्रैकिंग की जा सके।

21	क्षेत्रीय सहायक/उप/अपर श्रम आयुक्त द्वारा कार्यालय में एक ऑनलाइन निरीक्षण रजिस्टर का रख-रखाव किया जायेगा जिसमें बी0ओ0सी0डब्लू अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत प्रत्येक निरीक्षण एवं अनुवर्ती कार्यवाही का विवरण रखा जायेगा एवं प्रत्येक 15 दिनों पर रजिस्टर का अवलोकन क्षेत्रीय सहायक/उप/अपर श्रम आयुक्त, द्वारा करते हुए **ऑनलाइन रजिस्टर (Online Registers)** की सभी प्रविष्टियों को अद्यतन रखवाने का कार्य करेगें।
22	किसी जनपद में श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत किये गये निरीक्षणों के सम्बन्ध में प्रतिपालित प्रतिष्ठानों में से अधिकतम 05 प्रतिशत अथवा न्यूनतम 01 प्रतिष्ठान के निरीक्षण (जो अधिक हो) का सत्यापन सहायक श्रमायुक्त द्वारा किया जायेगा। जिन जनपदों में सहायक श्रमायुक्त की नियुक्ति नहीं होगी ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त अथवा क्षेत्र के किसी अन्य जनपद के सहायक श्रमायुक्त को नामित कर सत्यापन कराया जायेगा। इस हेतु प्रतिष्ठानों की सूची कम्प्यूटर द्वारा रेण्डम आधार पर वार्षिक रूप से मुख्यालय स्तर से जनरेट की जायेगी।

Digitally signed by
M.K SHANMUGA SUNDARAM
Date: 10-09-2025 18:14:59

(डॉ0 एम0के0 शन्मुगा सुन्दरम्)
प्रमुख सचिव